सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत

1. श्रीमती मुनीया देवी पति स्व॰ मोती यादव एवं श्रीमती बसवा देवी पति हेमा यादव निवासी ग्राम: होनहे, थाना: टंडवा ,जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 1381 दिनाक.10.5.2003 एवं SO No. 2832E दिनाक.30.08.2017 के तहत ग्राम: होनहे, थाना सं: 50, (रैयती) खाता सं. 44 के अधीन प्लॉट सं॰ 690, दावित रकवा 0.34 एवं 0.47 एकड़ क्रमशः , कुल दावित रकवा 0.81 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गयी है ।

क. ऊपर उल्लेखित खाता संख्या. **44**, प्लॉट न. **690** जिसकी खरीदगी एवं दावित रकवा **0.81** एकड़ है जिसे केवाला संख्या. 5331 दिनांक 23.12.1996 के माध्यम से श्रीमती मुनीया देवी पति स्व॰ मोती यादव एवं श्रीमती बसवा देवी पति हेमा यादव के द्वारा 1.श्री कन्हाई सिंह एवं 2. दिनेश सिंह पिता हरिहर सिंह से खरीदगी की गयी है ।

2. श्री झमेन्द्र यादव पिता लोकनाथ यादव निवासी ग्राम: होनहे, थाना: टंडवा ,जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 2832E दिनाक.30.08.2017 के तहत ग्राम: होनहे, थाना सं: 50, (रैयती) खाता सं. 16 के अधीन प्लॉट सं॰ 323, कुल दावित रकवा 0.14 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गयी है ।

क. ऊपर उल्लेखित खाता संख्या. **16**, प्लॉट न. **323** जिसका खरीदगी रकवा **0.16** एकड़ है जिसे केवाला संख्या. 4967 दिनांक 14.10.2014 के माध्यम से श्री झमेन्द्र यादव पिता श्री लोकनाथ यादव के द्वारा श्री दशई यादव पिता गुडन यादव से खरीदगी की गयी है ।

अगर उक्त मुआवजा पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप मे महाप्रबंधक /विभागाअध्यक्ष क (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते है ।

अगर उक्त पंद्रह दिनो के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नही होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: होनहे , थाना सं: 50 , जिला :- चतरा, खाता सं. **44** के **अधीन प्लॉट सं. 690 दावित रकवा 0.81** एकड़, रैयती भूमि, रैयती भूमि, जो **श्रीमती मुनीया देवी पति स्व॰ मोती यादव एवं श्रीमती बसवा देवी पति हेमा यादव** एवं खाता सं॰. **16**, **प्लॉट सं॰ 323 दावित रकवा 0.14 एकड़ श्री झमेन्द्र यादव पिता** लोकनाथ यादव के नाम से सत्यापित है, जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नही है ।

(sd/-)

महाप्रबंधक/विभागाअध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व)

सी.सी.एल, राँची